

F. पते का विवरण

वर्तमान / स्थानीय / पत्राचार

1. पते का प्रकार* आवासीय / व्यवसायिक आवासीय व्यवसायिक पंजीकृत कार्यालय अनिर्दिष्ट

2. पता

3. शहर / गाँव 4. जिला

5. राज्य 6. पिन कोड 7. देश

G. यदि दिए गए पते का प्रमाण / ओवीडी में वर्तमान पता उपलब्ध नहीं है, तो ओवीडी (अधिकारिक रूप में वैध दस्तावेज) के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज उपलब्ध कराएं

1. उपयोगिता बिल 2. पीपीओ/एफपीपीओ 3. सम्पत्ति या निगम कर रसीद

4. नियोजन द्वारा जारी / राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा जारी आवास आवंटन पत्र। इसी तरह ऐसे नियोजन के साथ अनुमति एवं अनुज्ञप्ति करार जो आधिकारिक आवास आवंटित करते हैं।

5. स्व-घोषणा (केवल तभी लागू है, यदि ग्राहक ने ई-केवाईसी (आधार प्रमाणीकरण) किया है और आधार में पता व वर्तमान पता समान नहीं है)

6. दस्तावेज सं. 7. दिनांक

मैं / हम खाता खोलने के तीन महीने के भीतर, अद्यतित वर्तमान पते के साथ आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) जमा कर दूंगा/दूंगी/देंगे, ऐसा न करने पर बैंक खाते में परिचालन को अवस्तु कर सकता है। (ग्राहक द्वारा स्वघोषणा दिए जाने पर लागू नहीं) (उपरोक्त बिंदु सं. G के अनुसार)

H. कर का प्रमाण

1. पैन / कर पहचान संख्या या समतुल्य (यदि अधिकारक्षेत्र द्वारा जारी किया गया है) (यदि पैन जमा नहीं किया है, तो फॉर्म 60 भरे)

2. केवल भारत में कर निवासी है, किसी अन्य देश या भारत के बाहर क्षेत्र में नहीं हां नहीं (यदि नहीं, तो कृपया एफटीसीए विवरण फॉर्म -अनुबंध भरे)

I. आय एवं पेशा/कार्य संबंधी घोषणा

1. पेशे का प्रकार* निजी क्षेत्र सेवा सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्र सेवा विद्यार्थी सेवानिवृत्त स्व-नियोजित कार्यरत नहीं

गृहणी अन्य, कृपया उल्लेख करें

2. व्यवसाय* (यदि स्व-नियोजित है) ट्रेडर जौहरी सेवा प्रदाता स्टॉक ब्रोकर निर्माता रियल एस्टेट

अन्य, कृपया उल्लेख करें

3. वार्षिक आय* (₹) 4. घरेलू आय* (₹) 5. व्यवसाय का स्वस्व (यदि स्व-नियोजित है)

6. निवल मालियत (₹)

7. संगठन का नाम (यदि वेतनभोगी है तो)

8. पेशा/पदनाम (यदि वेतनभोगी है तो)

9. कृपया उचित बॉक्स पर चिन्हित करें राजनैतिक सम से जोखिम वाले व्यक्ति राजनैतिक सम से जोखिम वाले व्यक्ति से संबंधित इनमें से कोई नहीं

(राजनैतिक सम से जोखिम वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी दूसरे देश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य का दायित्व सौंपा गया है जैसे राज्यों/सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी/ न्यायिक/ सैनिक अधिकारी, राज्य स्वाधिकृत निगमों के वरिष्ठ कार्यपालक, महत्वपूर्ण राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारी, आदि)

J घोषणा सह वचनपत्र सह स्वप्रमाण पत्र

मुझे/हमें दिए गए खाता खोलने के नियम और शर्तों की प्रति को मैंने/हमने पढ़ लिया है। उक्त नियम और शर्तें मुझे/हमें बताई गई हैं और उसे समझकर, मैं/हम उसे स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं।

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पीएमएलए 2002 के तहत केवाईसी मानकों के अनुपालन में पहचान और/या पते के प्रमाण के लिए सैचिब्रिक सम से यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड को जमा किया है।

मैं एतद्वारा यह सहमति देता/देती हूँ कि बैंक यूआईडीएआई से इसका सत्यापन कर सकता है और यूआईडीएआई को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से बैंक को पहचान एवं पता जारी करने के लिए स्पष्ट सम से अधिकृत करता/करती हूँ।

हां नहीं (डीबीटी का लाभ प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण एवं आधार को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य है)

कृपया हाल की पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं स्टेपल न करें

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान कृपया केवल काले रंग की स्याही से हस्ताक्षर करें

स्थान: दिनांक:

कार्यालय उपयोग/सत्यापन हेतु

दस्तावेज प्राप्त हुए

स्वयं प्रमाणित वास्तविक प्रतियां नोटरी ऑफलाईन सत्यापन से प्राप्त डाटा

डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया विडियो आधारित केवाईसी यूआईडीएआई से प्राप्त ई-केवाईसी डाटा

• क्या खाता खोलने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में प्राप्त स्व-प्रमाण पत्र और दस्तावेजों को सत्यापित किया गया है और सही पाया गया है हां नहीं

• प्रमाणित किया जाता है कि खाते के संचालन के निहितार्थ और शर्तें जमाकर्ता को समझा दी गई हैं (केवल अनपढ़ आवेदक के मामले में)

जमाकर्ता है: सामान्य निरक्षर नेत्रहीन कर्मचारी पीएफ नं:

जोखिम श्रेणी: उच्च मध्यम निम्न

एक या दो पहचान चिन्हों का विवरण, यदि कोई हो, जैसे तिल या निशान (निरक्षर आवेदक के लिए अनिवार्य)

1.:..... 2.:.....

व्यक्तिगत सत्यापन किया गया और आवेदक के हस्ताक्षर/एलटीआई का सत्यापन किया गया:

अधिकारी नाम:..... पदनाम..... पीएफ नं..... हस्ताक्षर..... दिनांक.....

शाखा प्रबंधक:..... पदनाम..... पीएफ नं..... हस्ताक्षर..... दिनांक.....

निवासी व्यक्ति के लिए खाता खोलने का फार्म (भाग - II)
बचत खाता, चालू खाता एवं सावधि जमा के लिए

मैं/हम आपकी शाखा/बैंक में अपना/हमारा निम्न जमा खाता खोलने का अनुरोध करता/करती हूँ/करते हैं : (खाते के उचित प्रकार पर चिन्हित करें)

खाते का प्रकार: बचत बैंक खाता बीएसबीडीए चालू खाता (व्यक्तिगत)
 सावधि जमा/फ्लेक्सी/आवर्ती कैप्स गेन

परिचालन का प्रणाली: स्वयं दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी कोई एक या उत्तरजीवी संयुक्त परिचालन अन्य
(कृपया उल्लेख करें)

अनुमानित वार्षिक जमा होने वाली राशि: ₹

A. अपेक्षित सेवाएं (कृपया उचित बॉक्स में का चिह्न लगाएं) (I से VIII की सेवाओं के लिए मोबाइल नं. अनिवार्य है)

I. एटीएम सह डेबिट कार्ड* नाम जैसा कार्ड पर प्रदर्शित होगा

प्रथम आवेदक हूँ नहीं

द्वितीय आवेदक हूँ नहीं

तृतीय आवेदक हूँ नहीं

II. एसएमएस अलर्ट (शुल्क लागू) हूँ नहीं
 पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट
 मोबाइल नंबर

III. पासबुक चाहिए (बचत) हूँ नहीं

IV. इंटरनेट बैंकिंग हूँ नहीं V. मोबाइल बैंकिंग हूँ नहीं

VI. चेकबुक (केवल योग्य खातों के लिए) हूँ नहीं VII. ई-स्टेटमेंट (मासिक अंतराल पर) : हूँ नहीं

VIII. एईपीएस सेवाएं चाहिए (डेबिट लेन देन) हूँ नहीं

(केवल एकल परिचालित और संयुक्त परिचालित दोनों में से एक या उत्तरजीवी मोड द्वारा संचालित। यदि खाते निम्नानुसार संचालित है। पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी विधि से संचालित के मामले में एटीएम कार्ड सुविधा प्रथम आवेदक को मिलेगी।)

B. मियादी जमा निम्नलिखित उत्पादों / सुविधाओं के लिए कृपया विकल्प / विवरण प्रस्तुत करें

सावधि जमा सावधि जमा (पुनर्विेश) कर बचत योजना कैप्स गेन (टीडीआर)

राशि ₹ शब्दों में राशि ₹ अवधि वर्ष माह दिन

राशि जमा की गई : नकद चेक/डीडी द्वारा खाते संख्या से अंतरण

व्याज देय बारंबारता : मासिक तिमाही परिपक्वता

परिपक्वता निर्देश स्वतः नवीनीकरण हूँ नहीं स्वतः नवीनीकरण* स्वतः नवीनीकरण[†] मूलधन एवं व्याज ₹ के अतिरिक्त राशि सहित
* (नवीनीकरण की तिथि पर प्रचलित व्याज दर पर समान अवधि के लिए स्वतः नवीनीकरण किया जाएगा) [†] (एकल एवं व्याज भुगतान नवीनीकरण)

भुगतान अनुदेश (परिपक्वता लाभ / शेष राशि) खाता संख्या मे क्रेडिट चेक/डीडी

C. ऑटो स्वीप / फ्लेक्सी जमा

जमा का प्रकार सावधि जमा जमा अवधि वर्ष माह दिन

मैं/हम एतद्वारा निबंधन और शर्तों के अनुसार ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी जमा बनाने के लिए मेरे / हमारे बचत बैंक / चालू खाते को डेबिट करने हेतु सहमति प्रदान करते हैं

लिकड बचत बैंक / चालू खाता संख्या

(फ्लेक्सी जमा/ऑटो स्वीप को बंद करने के लिए रिवर्स स्वीप के अंतर्गत, "अंत में आए पहले जाए" स्वतः विकल्प होगा)

D. आयर्ती जमा

मासिक / कोर मासिक किस्त ₹ ₹ (शब्दों में) अवधि: वर्ष माह

स्थायी अनुदेश (यदि कोई हो) खाता डेबिट करें

परिपक्वता पर प्राप्त राशि को खाता संख्या में स्वतः क्रेडिट करें

घोषणा सह स्व-प्रमाणन (बिंदु संख्या - B, C एवं D)

मैं/हम वचन देते हैं कि आवेदन सह जमा पर्ची के परिचालन निर्देशों के अनुरूप परिचालन निर्देशों "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी" या "पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी" के साथ सावधि जमा के मामले में, यदि पूर्व जमाकर्ताओं में से किसी एक के मृत्यु, जैसा भी मामला हो, मृत जमाकर्ता के विधिक उत्तराधिकारियों की सहमति प्राप्त किए बिना आवेदन के साथ मृत जमाकर्ताओं का मृत्यु प्रमाणपत्र जमा करने पर उत्तरजीवी को समय से पहले समाप्ति / भुगतान की अनुमति दी जा सकती है।

(संयुक्त खाते के मामले में आयकर प्रावधान केवल प्रथम खाता धारक पर लागू होगा)

कृपया उपरोक्त सावधि जमा खाते हेतु, प्रायोज्य टीडीएस की कटौती (बचत खाता/चालू खाता संख्या से करें)

स्थान : प्रथम आवेदक द्वितीय आवेदक तृतीय आवेदक

दिनांक :

नमूना हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान नमूना हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान नमूना हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

जमा खाता खोलने हेतु नियम एवं शर्तों की घोषणा

1. मैं/हम पुष्टि करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें यह सूचित किया गया है कि बेसिक बचत बैंक जमा खाताधारक उसी बैंक में कोई अन्य बचत बैंक जमा खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होंगे। बीएसडीबीए धारक को, खाता खोलने की तिथि से 30 दिन के भीतर हमारे बैंक में सभी मौजूदा बचत निधि खातों को बंद करना होगा।
2. मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि अनुबंध 1 एवं अनुबंध 2 में वर्णित विवरण सहित इस फॉर्म में दिए गए उपरोक्त विवरण मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं तथा मैं/हम इस में किसी भी परिवर्तन की तत्काल सूचना देने का वचन देता/देती हूँ/देते हैं। यदि उपरोक्त कोई भी सूचना गलत या असत्य या भ्रामक या भ्रमित करने वाली होती है, तो मुझे/हमें पता है कि मुझे/हमें इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
3. मैं/हम नीचे सूचीबद्ध और अनुबंध एफएटीसीए/सीआरएस के नियमों और शर्तों, निर्देशों आदि एवं पंजाब एण्ड सिंध बैंक तथा आरबीआई के नियमों और उत्तरदायी संशोधन (संशोधनों) से बाध्य होने के लिए सहमत हूँ/हैं। मेरा/हमारा व्यक्तिगत/केवाईसी विवरण केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के साथ साझा किया जा सकता है। मैं/हम एतद्वारा उपरोक्त पंजीकृत नंबर/ईमेल पते पर एसएमएस/ईमेल के माध्यम से केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से सूचना प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
4. मैं/हम एतद्वारा केंद्रीय सीकेवाईसी रजिस्ट्री से अपने केवाईसी रिकॉर्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी सहमति केवल सीकेवाईसी आर रजिस्ट्री के डाटाबेस से मेरा पहचान और पते के सत्यापन के उद्देश्य के लिए देता/देती/देते हूँ/हैं। (मैं समझता/समझती हूँ कि मेरे केवाईसी रिकॉर्ड में मेरा केवाईसी रिकार्ड/व्यक्तिगत जानकारी जैसे मेरा नाम/पता, जन्मतिथि, पैन नंबर आदि शामिल है।
5. यदि सावधि जमा /आवर्ती जमा संयुक्त नाम से है और परिचालन की विधि दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी है, तो कोई भी इसके एवज में ऋण आवेदन कर सकता है। और कोई भी समय पूर्व भुगतान/परिवर्तन पर भुगतान के लिए आवेदन कर सकता है।
6. मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि यदि भविष्य में किसी बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण सुविधा प्राप्त की जानी है, तो इसकी सूचना अग्रिम रूप से दी जाएगी (चालू खाता खोलते समय लागू)।
7. मैं पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने 'बैंक' के नियमों और विनियमों और उन्हें जो बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं से संबंधित हैं जिसमें डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/एसएमएस बैंकिंग/टेली-बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/वर्चुअल बैंकिंग तथा अन्य सुविधाएँ शामिल हैं लेकिन केवल यहाँ तक सीमित नहीं हैं, को पढ़ और समझ लिया है। मैं, बैंक/नियामक/सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, अधिसूचनाओं, सूचना बोर्ड/वेबसाइटों/समाचार पत्र प्रकाशनों इत्यादि के माध्यम से किए गए संशोधनों/परिवर्तनों का पालन करने के लिए सहमत हूँ। मैं, इन संशोधनों/परिवर्तनों के विषय में व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करने के अधिकार, यदि कोई हो, को छोड़ता हूँ। मैं सहमत हूँ कि मेरे खाते (ओं) में इंटरनेट, मोबाइल, डेली-बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के माध्यम से मेरे प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड/पिन/ओटीपी के तहत किए गए लेनदेन तथा अनुरोध मुझ पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगे तथा मैं मामलों में प्रमाणीकरण पत्रिका तथा अन्य सूचना/सिवरण/ओटीपी/पिन इत्यादि की गोपनीयता तथा गुप्तता बनाये रखने के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं सहमत हूँ कि किसी भी सेवा चुनकर, व्यय या अन्य देयताओं, जो कि बैंक मुझसे वसूलने का हकदार/उत्तरदायी है, के लिए बैंक को मेरे खाते को डेबिट करने के सभी अधिकार हैं। मैं बैंक को इसके लिए भी अधिकृत करता हूँ और सहमत हूँ कि मुझे कोई सूचना दिए बिना मेरा खाता बंद कर दे। मैं एतद्वारा अपने पत्राचार पते या गठन में किसी भी बदलाव के बारे में बैंक को सूचित करने का वचन देता/देती हूँ।
8. आधार विवरण के आधार पर खोले गए खातों के संबंध में, मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पीएमएलए 2002 के तहत केवाईसी मानकों के अनुपालन में पहचान और/या पते के प्रमाण के लिए सैचिटेड रूप से यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड को जमा किया है तथा मैं एतद्वारा यह सहमति देता/ती हूँ कि बैंक यूआईडीएआई से इसका सत्यापन कर सकता है और यूआईडीएआई को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से बैंक को पहचान एवं पता जारी करने के लिए सक्षम करता/करती हूँ। मेरा आधार नंबर बैंक के साथ दर्ज नहीं है। मैं एनपीसीआई मैप के साथ इस खाते को जोड़ना चाहता/चाहती हूँ, ताकि मैं आधार अधिनियम की धारा के तहत अधिसूचित योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त कर सकूँ। इसके लिए, मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड जमा कर दिया है।
9. मैं पुष्टि और घोषणा करता/ती हूँ कि मुझे किसी भी लागू कानून/विनियामक/संविदात्मक या अन्य प्रावधानों द्वारा खाता खोलने और/या खातों को बनाए रखने या किसी अन्य तरीके से बैंक के साथ लेन देन करने हेतु प्रतिबंधित/निषिद्ध/रोका/नहीं गया है।
10. मैं मानता/मानती हूँ कि मेरे व्यक्तिगत केवाईसी विवरणों को केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के साथ साझा किया जा सकता है। मैं बैंक/केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री/भारत सरकार/आरबीआई या अन्य किसी प्राधिकरण से मेरे पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ। मैं यह भी मानता/ती हूँ कि ऐसे किसी भी एसएमएस/ई-मेल की गैर-प्राप्ति पर बैंक किसी भी तरह के नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
11. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/ती हूँ कि मैंने अपनी स्थिति केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ.2155(ई) अगस्त 2015 द्वारा अधिसूचित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 285बीए के तहत लागू नियमों तथा इस विषय में आरबीआई परिपत्र संसद सं. डीबीआर. एएमएल.बीसी.सं36/14.01.001/2015-16 दिनांक 28 अगस्त 2015 तथा इसके अनुवर्ती आशोधन/संशोधनों, के अनुसार घोषित की है।
12. मैं समझता, स्वीकार तथा अधिकृत करता/ती हूँ कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा इस संबंध में सरकार/आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, आवासीय स्थिति और/या उसमें दिए गए अन्य मानदंडों के आधार पर, बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) या अन्य सरकारी एजेंसियों को विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के संबंध में अंतर-सरकारी समझौते(आईजीए) के अनुसार दायित्वों का पालन करने के लिए और/या अन्य समान व्यवस्थाओं के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार मेरे खाते (खातों) के संबंध में विवरण देना होगा।
13. मैं यह प्रमाणित करता/ती हूँ और घोषित करता/ती हूँ कि मेरे द्वारा ऋण खाता खोलने के लिए यहाँ और या वेबसाइट/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अन्य सेवा, जो मुझ पर लागू हो, का लाभ उठाने के लिए, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित/प्रमाणित रूप से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजी साक्ष्य, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं, मैंने ऐसी किसी भी भौतिक जानकारी को छुपाया नहीं है जो मेरे खाते के मूल्यांकन/वर्गीकरण को यू.एस.रिपोर्टिंग खाते या अन्य रिपोर्टिंग योग्य खाते के रूप में या अन्यथा प्रभावित कर सकती है। यदि किसी भी मामले में मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी या विवरण गलत या असत्य या भ्रामक या मिथ्या पाए जाते हैं, तो मुझे पता है कि मुझे इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
14. कोई भी परिवर्तन जो यहाँ दी गई जानकारी में / या अन्याय, हो सकता है, साथ ही मेरे द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य में हो सकता है या यदि कोई प्रमाणीकरण गलत हो जाता है, तो मैं तुरंत और किसी भी स्थिति में परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसे घोषित तथा प्रकट करने की जिम्मेदारी लेता/ती हूँ। इसके साथ ही, मैं आवश्यकता पड़ने पर, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ नवीनतम और वैध स्व-प्रमाण प्रदान करने का वचन देता/ती हूँ, हालांकि, यहाँ की गयी सभी घोषणाएँ और वचन मेरे द्वारा दिए गए ऐसे सभी आशोधित/संशोधित दस्तावेजों/सूचनाओं पर लागू होंगे जब तक उपरोक्तानुसार संशोधित स्व-प्रमाणन बैंक को प्रदान नहीं किए जाते।

15. मैं यह भी मानता/ती हूँ कि मेरी जानकारी में अभी या भविष्य में किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य/जानकारी या खुलासा करने में मेरी असफलता या दस्तावेजों/सूचना/ अन्य विवरणों में किसी भी कमी को निर्धारित अवधि में दूर करने में मेरी असफलता, मुझे खाते में लेन-देन करने हेतु अमान्य घोषित कर सकती है और बैंक को मेरे खाते के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने या इसे बंद करने या किसी भी क्षिनियामक और/या भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किसी भी प्राधिकरण को रिपोर्ट करने का अधिकार होगा, या बैंक सीबीडीटी /आरबीआई / भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के तहत जैसे भी उचित होगा, कोई अन्य कार्यवाही कर सकता है।
16. मैं बैंक को कोई भी अन्य विवरण प्रस्तुत करने एवं सूचित करने के लिए सहमत हूँ जो मुझे उपरोक्त मामलों में या अन्याय, भारत या विदेश में कानून में किसी भी बदलाव के कारण प्रदान करने के लिए कहा जाता है।
17. मैं बैंक को किसी भी प्रकार की हानि / क्षति की क्षतिपूर्ति करूँगा/गी, जो बैंक को मेरे द्वारा प्रदान किए गए विवरणों में किसी भी त्रुटि/गलती के कारण या गलत या अपूर्ण सूचना प्रदान करने के कारण हो सकती है।
18. मैं केवाईसी विवरणों के अपडेशन के लिए समय-समय पर बैंक द्वारा वांछित नए केवाईसी दस्तावेजों के साथ डेटा/सूचना प्रस्तुत करने का वचन देता/ती हूँ।
19. मैं समझता/ती हूँ कि बैंक द्वारा केवाईसी से संबंधित ग्राहक समुचित सावधानी प्रक्रिया पूरा करने के बाद ही खाता सक्रिय होगा तथा डेबिट की अनुमति दी जाएगी।
20. यदि खाता पैन के बिना खोला जाता है, तो मैं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई तारीख को या उससे पहले पैन जमा करने का वचन देता/ती हूँ ऐसा न करने पर, धन-शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम 2005 के अनुसार, खाते में परिचालन तब तक रहेगा जब तक पैन जमा नहीं किया जाता है।
21. यदि खाता खोलने के समय वर्तमान पते के लिए मान्य अधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) जमा किए गए हैं, तो आधार या ओवीडी में से कोई भी दस्तावेज जिसमें वर्तमान पता है, खाता खोलने की तिथि से 3 महीने के भीतर प्रस्तुत करने का वचन देता / देती हूँ जिसमें विफल होने पर समझता /ती हूँ कि मेरे खाते का परिचालन संबंध समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बंद हो सकता है।
22. मुझे एटीएम कार्ड/चेक बुक सहित स्वागत किट मिल गया है और मैं समझता/ती हूँ कि किट की सामग्री के दुरुपयोग/गुम होने की स्थिति में, बैंक किसी भी नुकसान/क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
23. मैं इस बात को प्रमाणित करता / ती हूँ कि बचत बैंक खाते का उपयोग मेरे द्वारा केवल गैर-व्यवसायिक / गैर-वाणिज्यिक प्रकृति के लेन-देन करने के लिए किया जाएगा। इस तरह के लेन-देन या ऐसे कोई भी लेन-देन जो वाणिज्यिक / व्यवसायिक / संदिग्ध या अवांछनीय माने जाते हैं, की स्थिति में बैंक के पास एक्टरफा संचालन फ्रीज करने और / या खाता बंद करने का अधिकार सुरक्षित है।
24. मुझे खोले जाने वाले खाते के लिए औसत तिमाही शेष (व्यूएबी) रखने की अपेक्षा के विषय में अवगत कराया गया है और यह समझाया गया है कि यह अपेक्षाएं संशोधन / परिवर्तन के अधीन है और इस तरह के संशोधन / परिवर्तन बैंक की साईट पर अपलोड किए जाएंगे जो मुझे इस बारे में सूचना के रूप में स्वीकार्य होंगे।
25. मैं पुष्टि करता/ती हूँ कि बीएसबीडी खाते की उत्पाद विशेषताएं मुझे बताई गई हैं (बीएसबीडी खाता आवेदक के लिए लागू)।
26. मैं बचत बैंक खाते के नियमों और विनियमों की प्राप्ति स्वीकार करता/ती है।
27. लघु खातों के लिए लागू मैं/हम समझता/ती है/समझते हैं कि यह खाता प्रारंभ में बारह महीनों के लिए परिचालित रहेगा, जिसे ओवीडी होने का प्रमाण जमा करने पर बारह महीनों के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। सम्पूर्ण छूट/प्रावधानों की चौबीस महीनों के बाद समीक्षा की जाएगी।
28. मुझे/हमें सलाह दी गई है कि अगर मैं/हम अपना मोबाइल नंबर प्रदान नहीं करता/ती हूँ/करते हैं, तो मैं/हम इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की किसी भी सुविधा के लिए पात्र नहीं हूँ/हैं।
29. (समाज कल्याण लाभ के क्रेडिट हेतु खोले गए खातों के लिए लागू) मैं समझता/ती है कि यह खाता बीएसबीडी श्रेणी के तहत खोला जाएगा। मैं यह भी समझता/ती हूँ कि यदि मैं इस बीएसबीडी खाते को जारी नहीं रखना चाहता/चाहती हूँ, और नियमित बचत बैंक खाते में बदलना चाहता/ती हूँ तो मुझे नियमित बचत बैंक खाते के लिए लागू औसत तिमाही शेष राशि (व्यूएबी) रखनी होगी। इसलिए अगर मैं बीएसबीडी से नियमित बचत बैंक खाते में स्थि करता/ती हूँ तो खाते में व्यूएबी बनाए रखने का वचन देता/ती हूँ।
30. (अव्यक्त के नाम पर खोले गए खातों के लिए लागू), मैं समझता/ती हूँ कि आवेदक जैसे ही व्यक्त होता है, औसत तिमाही शेष (व्यूएबी) और यह न रखने के लिए जुर्माना इस खाते में लागू होगा। इसलिए मैं बचन देता/ती हूँ कि व्यक्त होने की तिथि से औसत तिमाही शेष (व्यूएबी) बनाए रखूँगा/गी।
31. मैं इस बात की घोषणा करता/ती हूँ कि ऊपर प्रस्तुत विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैं इसमें कोई भी बदलाव होने पर इसकी सूचना तत्काल आपको देने का वचन देता/ती हूँ, उपरोक्त किसी भी मामले में जानकारी झूठी या असत्य या भ्रामक या मिथ्या पाई जाती है तो मुझे पता है कि मुझे इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
32. मैं हम इस बात की पुष्टि करता/ती हूँ/करते हैं कि खाते की उत्पाद विशेषताएं मुझे/हमें बता दी गई हैं।
33. मैं/हम एतद्वारा सहमति देता/ती हूँ/देते हैं कि मेरे/हमारे खाते को, बचत बैंक तथा चालू खाते में सामान्यतः यथा लागू सेवाप्रभार वसूल करने हेतु डेबिट कर लिए जाएँ।
34. मैं पुष्टि करता/ती हूँ और वचन देता हूँ कि मैं वर्चुअल कर्रेंसी में लेन-देन नहीं करूँगा/करूँगी और अपने खाते का प्रयोग वर्चुअल कर्रेंसी से संबंधित किसी सेवा के लिए नहीं करूँगा/करूँगी या वर्चुअल कर्रेंसी की लेन-देन या निपटान में किसी व्यक्ति या संस्था की मदद नहीं करूँगा/गी।
35. मैं समझता/ती हूँ कि एक वित्तीय वर्ष में 04 अवसरों पर राशि की कमी/अपर्याप्त निधि के कारण ऋण चुकोती के लिए स्थायी अनुदेश के विफल होने/चेक एनपूसीए/ईसीएस अस्वीकृत होने की स्थिति में, कोई नई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी, खाता बंद करने पर भी विचार किया जा सकता है।
36. वार्षिक आय/वार्षिक टर्नओवर के प्रमाण के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बैंक ग्राहक द्वारा घोषित अपेक्षित वार्षिक क्रेडिट के आधार पर खाता स्तर की ग्रेडिंग/सीमा निर्धारित करेगा। यदि, वार्षिक टर्नओवर / वार्षिक आय/अपेक्षित वार्षिक क्रेडिट के लिए स्व-घोषणा प्रस्तुत की गई है, तो जैसा बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए, न्यूनतम ग्रेडिंग/सीमा निर्धारित की जाएगी और यदि ग्रेडिंग/सीमा का उल्लंघन होता है, तो ग्राहक द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने तक खाते में आगे क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी।
37. मैं/हम पंजाब एण्ड सिंध बैंक को मेरे/हमारे 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) विवरणों का उपयोग खाता सत्यापन, विवरण और व्यक्तिगत सेवाओं के उद्देश्यों के लिए करने के लिए अधिकृत करते हैं।
38. मैं/हम स्वीकार करते हैं कि मैं/हम एसएमएस सूचनाएं न मिलने से जुड़े धोखाधड़ी के संभावित जोखिम को समझते हैं। इसके बावजूद, मैं/हम एसएमएस पंजीकरण के लिए अपना मोबाइल नंबर प्रदान नहीं करना चुनते हैं।

प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान।
कृपया केवल काली स्याही से हस्ताक्षर करें

द्वितीय आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान।
कृपया केवल काली स्याही से हस्ताक्षर करें

तृतीय आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान।
कृपया केवल काली स्याही से हस्ताक्षर करें

दिनांक : _____ दिनांक : _____ दिनांक : _____

2. घोषणा स्वीकार करने वाला व्यक्ति वहां घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहां मद 22ख में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की रकम उस रकम से अधिक हो जाती है जो कर के प्रभाय नहीं है सिवाय तब जब स्थायी लेखा संख्या हेतु आवेदन किया गया हो और स्तंभ 21 सम्यक रूप से भरा गया हो ।

अनुदेश

(1) पहचान और पते के समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं (यदि स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन दिया है और मद 20 भरा है तो आवश्यक नहीं है): -

क्र.सं.	दस्तावेजों की प्रकृति	दस्तावेज कोड	पहचान प्रमाण	पते का प्रमाण
क				
1	आधार कार्ड	01	हां	हां
2	बैंक/डाकघर की पासबुक जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	02	हां	हां
3	निर्वाचक पहचान पत्र	03	हां	हां
4	राशन/सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	04	हां	हां
5	ड्राइविंग लाइसेंस	05	हां	हां
6	पासपोर्ट	06	हां	हां
7	पेंशनर फोटो कार्ड	07	हां	हां
8	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(नरेगा) जॉब कार्ड	08	हां	हां
9	जाति या अधिवासी प्रमाणपत्र जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	09	हां	हां
10	प्ररूप 49क में उल्लिखित उपबंध क के अनुसार संसद सदस्य या विधायक या नगर निगम के पार्षद या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान/पते का प्रमाण पत्र	10	हां	हां
11	प्ररूप 49क में उल्लिखित उपबंध ख के अनुसार नियोजक से प्रमाणपत्र	11	हां	हां
12	किसान पासबुक जिसमें फोटो हो	12	हां	नहीं
13	हथियार लाइसेंस	13	हां	नहीं
14	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/पूर्व सैनिक अभिदाय स्वास्थ्य योजना कार्ड	14	हां	नहीं
15	सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	15	हां	नहीं
16	बिजली बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	16	नहीं	हां
17	लैंडलाइन टेलीफोन बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	17	नहीं	हां
18	पानी का बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	18	नहीं	हां
19	गैस ग्राहक कार्ड/बुक या गैसपाइप का बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	19	नहीं	हां
20	बैंक खाता विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	20	नहीं	हां
21	क्रेडिट कार्ड विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	21	नहीं	हां
22	डिपॉजिटरी खाता विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	22	नहीं	हां
23	संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज	23	नहीं	हां
24	सरकार से प्राप्त आवास का आवंटन पत्र	24	नहीं	हां
25	पति/पत्नी का पासपोर्ट जिसमें व्यक्ति का नाम हो	25	नहीं	हां
26	सम्पत्ति कर भुगतान की रसीद (एक साल से पुराना नहीं)	26	नहीं	हां
ख	व्यक्तियों के संगम (न्यास)			
	न्यास विलेख की प्रति या चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन के प्रमाणपत्र की प्रति	27	हां	हां
ग	व्यक्तियों के संगम(न्यास के अतिरिक्त) या वैयक्तिकों के निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति			
	समझौते की प्रति या चैरिटी आयुक्त या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की प्रति या केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग से व्यक्ति का स्थापना पहचान और पते का कोई अन्य दस्तावेज	28	हां	हां
घ	विदेशी कंपनी के लिए			
1	आवेदक जिस देश में स्थित है, वहां जारी पंजीकरण या निगमन प्रमाणपत्र की प्रति, IFSC बैंकिंग इकाई के अधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित।	29	हां	हां
2	आवेदक जिस देश में स्थित है, वहां जारी कर पहचान संख्या की प्रति, IFSC बैंकिंग इकाई के अधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित।	30	हां	हां (यदि पता उसमें उल्लिखित है)

3. किसी अवयस्क के नाम पर लेनदेन होने की दशा में ऐसे अवयस्क के माता पिता या अभिभावक का उपरोक्त में वर्णित पहचान और पते का कोई भी प्रमाण उस अवयस्क का पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा और घोषणा को माता पिता या अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
4. हिंदु अविभाजित परिवार के लिए हिंदु अविभाजित परिवार के कर्ता के नाम पर दस्तावेज अपेक्षित होगा।
5. एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर लेनदेन होने की दशा में सभी व्यक्तियों की कुल संख्या क्रम संख्यांक 14 में वर्णित की जाएगी और लेनदेन की कुल रकम क्रम संख्या 12 में भरी जाएगी। स्तंभ 22ख में अनुमानित आय अधिकतम कर प्रभाय आय से अधिक होने पर व्यक्ति को स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन देना होगा, मद 21 भरना होगा और आवेदन देने का प्रमाण देना होगा।

आय-कर नियम, 1962

प्रारूप सं.60

अनुलग्नक -I

[नियम 114ख का दूसरा प्रावधान देखिए]

उस वैयक्तिक या व्यक्ति (जो कंपनी या फर्म नहीं है) द्वारा फाइल किए जाने वाले का प्रारूप, जिसके पास स्थायी लेखा संख्या नहीं है जो नियम 114 ख में विनिर्दिष्ट कोई लेनदेन करता है।

1	प्रथम नाम	मध्य नाम	उपनाम
2	घोषणाकर्ता की जन्म-तिथि / निगमन की तारीख		
3	पिता का नाम (वैयक्तिकों के लिए)		
4	फ्लैट सं./तल सं.		
5	परिसर का नाम/ ब्लाक का नाम एवं सं.		
6	रोड / गली / लेन		
7	क्षेत्र / अवस्थिति		
8.	नगर/जिला/राज्य		
9	पिन कोड		
10	टेलीफोन सं. (एसटीडी कोड सहित)		
11	मोबाइल संख्या		
12	लेनदेन की राशि (₹)		
13	लेनदेन की तारीख		
14	संयुक्त नाम से लेनदेन होने की दशा में, लेनदेन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या		
15	लेनदेन का प्रकार	नगद	चेक
			कार्ड
			ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक
			ऑनलाइन अंतरण
			अन्य
16	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) :		
17	यदि स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन किया है और अभी तक नहीं बना है तो आवेदन की तारीख और अभिस्वीकृति संख्या : तारीख :		
18	यदि स्थायी लेखा संख्या आवेदन नहीं किया है तो जिस वित्तीय वर्ष में लेनदेन किया गया है उसकी कुल अनुमानित आय (जिसमें आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अंतर्गत पति/पत्नी या अवयस्क संतान की आय भी सम्मिलित है) भरे। (रु.) _____ (ख) कृषि से अतिरिक्त आय _____		
19	स्तंभ 1 में वर्णित पहचान के समर्थन में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे (पृष्ठ भाग के अनुदेश का संदर्भ लें)	दस्तावेज कोड	दस्तावेज पहचान संख्या
			दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता
20	स्तंभ 4 से 13 में वर्णित पते के समर्थन में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे (पृष्ठ भाग के अनुदेश का संदर्भ लें)	दस्तावेज कोड	दस्तावेज पहचान संख्या
			दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता

सत्यापन

मैं / हम,.....यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि जो कुछ भी ऊपर कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं आगे और यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि मेरे पास स्थायी लेखा संख्या नहीं है और मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अंतर्गत पति/पत्नी या अवयस्क संतान की आय भी सम्मिलित है) उस वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त लेनदेन किया गया है आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अभिकलित की गई है जो अधिकतम कर प्रभाय आय से कम है।

आज तारीख _____ 20 _____ को सत्यापित किया गया।

स्थान :

(घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

टिप्पणी : घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को खुद की संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि इस प्रारूप में दी गई जानकारी पूर्णरूप से सही है, सत्य है और संपूर्ण है।

घोषणा में मिथ्या कथन करने वाला व्यक्ति आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन का दायी होगा और दोषसिद्ध होने पर दंडनीय होगा,

(i) एक स्थिति जिसमें अपवचन के लिए कर पच्चीस लाख रुपए से अधिक होता है कठोर कारावास से जो छः मास से कम नहीं होगा किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना सहित;

(ii) किसी अन्य मामले में कठोर कारावास जो तीन माह से कम नहीं होगा किन्तु जो दो वर्ष तक का बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना सहित।